

राम मंदिर: रामराज्य का संकल्प

यह एडिटोरियल 23/01/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“Ram is not fire, Ram is energy”](#) लेख पर आधारित है। इसमें अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतीष्ठा समारोह के महत्त्व पर चर्चा की गई है और भारतीय समाज में शांति एवं सद्भाव के प्रतीक के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

प्रलम्ब के लिये:

[राम मंदिर \(अयोध्या\)](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [CJI](#), मंदिर अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक कूटनीति।

मेन्स के लिये:

राम मंदिर विवाद से संबंधित प्रमुख घटनाएँ, राम मंदिर निर्माण के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, राम मंदिर के निर्माण का महत्त्व।

राम मंदिर का प्राण प्रतीष्ठा समारोह (consecration ceremony) एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है जिससे [अयोध्या में राम मंदिर](#) स्थापना की 500 वर्ष पुरानी आकांक्षा की पूर्तकी है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को एक चरित्रप्रतीक के अंत के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भगवान राम को समर्पित मंदिर का निर्माण—जो न्याय का प्रतीक है, एक उचित एवं निष्पक्ष तरीके से किया गया है। उन्होंने न्याय के सिद्धांतों की रक्षा के लिये भारतीय न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया।

जबकि राम मंदिर अब साकार हो चुका है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत में धार्मिक विवादों की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिये। राम राज्य के सिद्धांतों का पालन करना और 'धर्म' को बनाये रखना सभी के लिये अनिवार्य है।

बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद के प्रमुख घटनाक्रम:

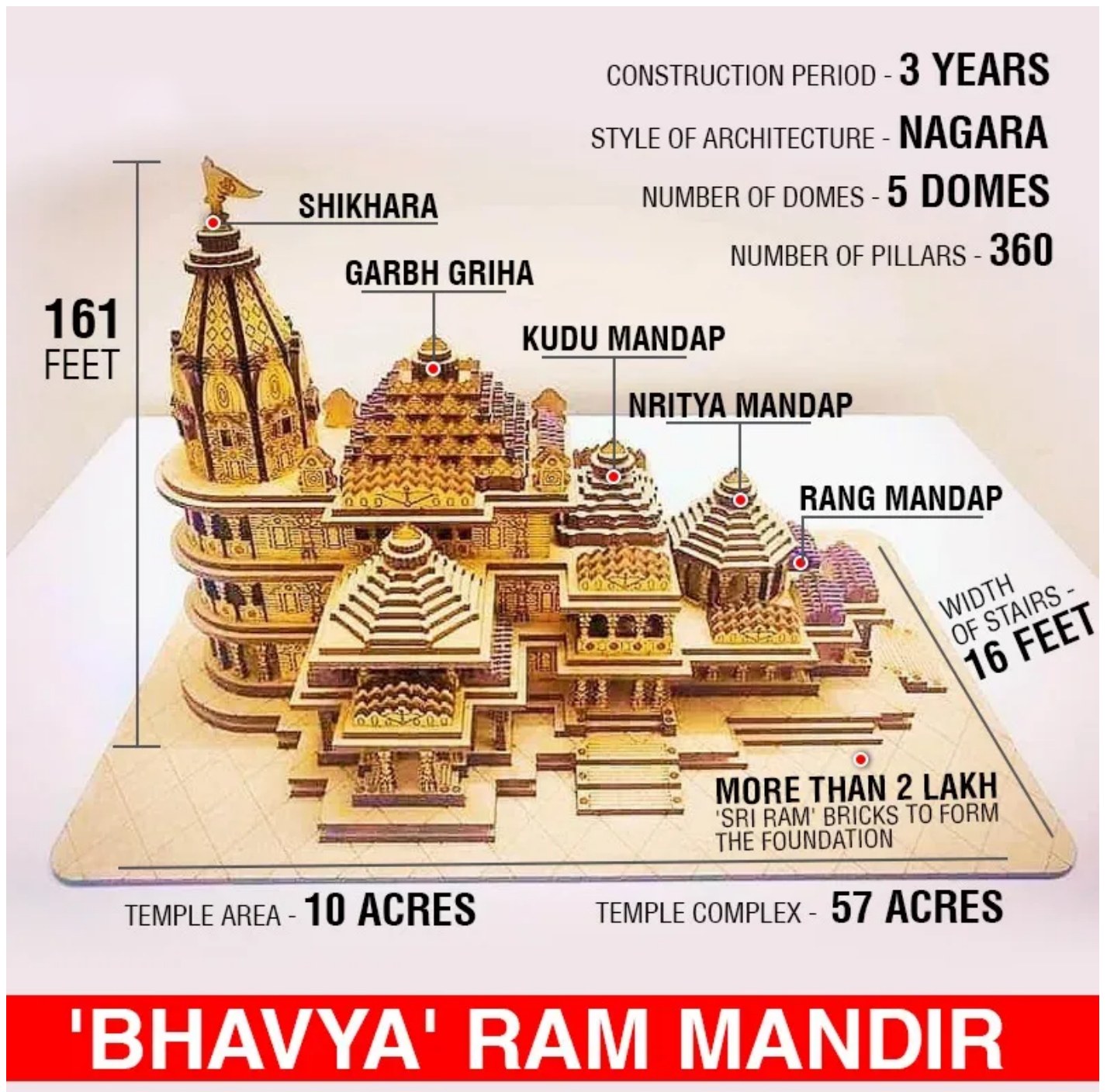
- **1529 ई. : मीर बाक़ी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण-** बाबरी मस्जिद 16वीं शताब्दी की एक मस्जिद थी जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थिति थी। बड़ी संख्या में हिंदू अनुयायियों द्वारा मस्जिद स्थल को भगवान राम का जन्मस्थान (श्री राम जन्मभूमि) माना जाता है।
 - इससे बार-बार यह विवाद होता रहा है कि भूमि का स्वामित्व किसके पास है।
- **दिसंबर 1949: मस्जिद के अंदर राम की मूर्तिका 'प्रकट' होना।**
- **तीन प्रमुख वाद:**
 - वर्ष 1959 में **नरिमोही अखाड़े** ने मालिकाना हक (title suit) का मुकदमा दायर किया। नरिमोही अखाड़े का दावा था कि वह राम जन्मभूमि का असली प्रबंधक है।
 - वर्ष 1961 में **उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटरल वक्फ बोर्ड** ने भी एक मुकदमा दायर किया। बोर्ड मस्जिद पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा था।
 - वर्ष 1989 में वरिष्ठ अधिवक्ता **देवकी एन. अग्रवाल** ने भगवान राम की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। इसके बाद पूर्व के सभी मुकदमे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिये गए।
- **25 सितंबर 1990: रथ यात्रा -** लालकृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिये समर्थन जुटाने के उद्देश्य से सोमनाथ (गुजरात) से अयोध्या (उत्तर प्रदेश) तक की रथ यात्रा शुरू की।
- **6 दिसंबर 1992:** बाबरी विध्वंस - कारसेवकों की एक हसिक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और उसके स्थान पर एक अस्थायी मंदिर (makeshift temple) की स्थापना कर दी।
- **7 जनवरी 1993:** राज्य द्वारा अयोध्या भूमिका अधिग्रहण - सरकार ने 67.7 एकड़ भूमिका अधिग्रहण करने के लिये एक अध्यादेश जारी किया।
- **अप्रैल 2002:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या स्वामित्व विवाद पर सुनवाई शुरू की।
- **8 जनवरी 2019:** भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मामले को 5 न्यायाधीशों की संवैधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिये अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग किया।
- **8 मार्च 2019: सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा मध्यस्थता का आदेश - संवैधान पीठ ने अदालत की नगिरानी में मध्यस्थता का आदेश दिया।
- **9 नवंबर 2019- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय-**
 - **विवादित भूमि रामलला को समर्पित:** सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वसम्मति निर्णय के माध्यम से मामले के तीन दावेदारों में से एक 'रामलला' को समर्पित मंदिर के निर्माण के लिये संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित भूमि सौंपकर विवाद का निपटारा कर दिया।
 - **मस्जिद निर्माण के लिये भूमि:** मंदिर के लिये विवादित भूमि सौंपने के अलावा न्यायालय ने मस्जिद के निर्माण के लिये अयोध्या में ही एक

राम मंदिर नरिमाण के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का आधार क्या था?

- **वविादति स्थल पर परतसिपरदधी अधिकार:** वविादति स्थल पर हद्वि और मुसलमि दोनों का परतसिपरदधी अधिकार था। हालाँकि हद्विओं ने वविादति ढाँचे पर अपनी नरितर उपासना के बेहतर साक्ष्य परस्तुत कयि जो न्यायालय के नरिणय में एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा।
- **अनन्य मुसलमि कबजे का अभाव:** मुसलमि पक्षों द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कयिा गया जो यह दर्शाता हो कि वविादति ढाँचे पर उनका अनन्य कब्जा रहा हो और वहाँ नमाज़ पढ़ी जाती हो।
- **बाहरी परसिर पर कब्जा:** न्यायालय ने कहा कि वविादति स्थल के बाहरी परसिर पर मुसलमानों का कभी भी कब्जा नहीं रहा। जबकि आंतरिक प्रांगण परस्पर वरिधी दावों के साथ एक वविादति स्थल था, दसिंबर 1949 तक मुसलमानों द्वारा मसजदि का परतियाग नहीं कयिा गया था क्योंकि वहाँ नमाज़ अता की जाती थी।
- **सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा स्वामतिव स्थापति करने में वविलता:** सुन्नी वक्फ बोर्ड परतकिल कब्जे या वक्फ (dedication by user) के माध्यम से स्वामतिव स्थापति करने में सफल नहीं हुआ, जो न्यायालय द्वारा वचिरति एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक था।
- **मंदिर नरिमाण के लयि ट्रस्ट:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को, जसिने वविादति भूमि और आस-पास के क्षेत्रों का अधगिरहण कयिा था, मंदिर के नरिमाण के लयि एक ट्रस्ट स्थापति करने का नरिदेश दिया। यह वविाद को सुलझाने और स्थल पर राम मंदिर के नरिमाण को सुवधाजनक बनाने के नरिणय का एक भाग था।
- **ASI रपिरट:** अपने नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक रपिरट का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मसजदि, जो वर्ष 1992 में वधिवंस से पहले वविादति स्थल पर खड़ी थी, खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी और प्रमाण मलि है कि वहाँ एक मंदिर जैसी संरचना पहले से मौजूद थी।
- **अनवरयता का सदिधांत:** नरिणय सुनाते समय सर्वोच्च न्यायालय ने अनवरय धारमकि प्रथाओं के सदिधांत (doctrine of essential religious practices) का अनुपरयोग कयिा। न्यायालय ने एम. इसमाइल फारूकी बनाम भारत संघ मामले (1994) का हवाला दिया जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "मसजदि इस्लाम धरम के अभ्यास का एक अनवरय अंग नहीं है और मुसलमानों द्वारा नमाज़ (प्रार्थना) कही भी, यहाँ तक कि खुले में भी अता की जा सकती है।"

राम मंदिर का नरिमाण क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **उल्लास का क्षण:** अयोध्या में राम मंदिर का नरिमाण एक महत्त्वपूर्ण घटना है जो लंबे समय से जारी वविाद के अंत और भारत के इतिहास में एक नए अध्याय के आरंभ का प्रतीक है।
- **धारमकि महत्त्व:** यह मंदिर हद्वि देवताओं में सबसे लोकप्रयि देवताओं में से एक राम का पवतिर नवास स्थान है, जनिके बारे में हद्वि मानते हैं कि उनका जन्म अयोध्या में ठीक इसी स्थान पर हुआ था।
- **आस्था का प्रतीक:** राम मंदिर उस स्थान पर बनाया जा रहा है जसि हद्वि राम जन्मभूमि मानते हैं। लाखों हद्वि इस गहन वशिवास के साथ भगवान राम की पूजा करते हैं कि वविपित्तिके समय में उनके नाम जाप से शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है और हद्वि धरम का पालन करने वाले अधकिंश लोग अपने घरों में राम की मूरतयि रखते हैं।
- **मंदिर अरथवयवस्था:** इन पहलों से अयोध्या को देश में एक प्रमुख आध्यात्मकि केंद्र में बदलने की उम्मीद है, जो बढी हुई कनेक्टविटी के कारण व्यापक क्षेत्र में व्यापार एवं आरथकि गतिविधियि को बढावा देगा।
 - तरिपति मंदिर, जो एक प्रमुख तीरथ स्थल है, परतविर्ष लाखों भक्तों को आकर्षति करता है, जसिसे स्थानीय अरथवयवस्था को व्यापक रूप से बढावा मलिता है।
- **'न्यूक्लियस' संस्थान:** मंदिर एक 'न्यूक्लियस' या नाभिक के रूप में कार्य कर सकता है जसिके चारों ओर स्कूल और अस्पताल जैसे धरमार्थ संस्थान वकिसति कयि जा सकते हैं।
- **सामाजकि एकजुटता:** राम मंदिर हद्वि उपासना स्थल होने के प्रतीकवाद से आगे बढकर एकजुटता और सांस्कृतकि संश्लेषण के एक बड़े संदेश का संकेत देगा। यह दवियता (divinity) के आह्वान के माध्यम से 'सोशल इंजीनयरिंग' है। यह राष्ट्र को जोड़ने वाला सूतर सदिध हो सकता है।
- **सांस्कृतकि कूटनीति:** राम की दवियता न केवल भारत में एक प्रमुख धारमकि प्रभाव के रूप में वदियमान है, बल्कि थाईलैंड, इंडोनेशयिा, म्यांमार और मलेशयिा जैसे देशों में भी सांस्कृतकि वरिसत का एक अभनिन अंग है। इससे भारत की सांस्कृतकि कूटनीति भी सुदृढ़ होगी।



भारत जैसे लोकतंत्र में भगवान राम के मूल्यों को कैसे स्थापति किया जा सकता है?

- **‘धर्म’ (Righteousness) को बढ़ावा देना:**
 - जीवन के सभी पहलुओं में नैतिक और नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये नेताओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करें।
 - व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यवहार में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नृपक्षता के महत्त्व पर बल दें।
- **न्याय और नृपक्षता:**
 - एक मजबूत एवं नृपक्ष न्यायिक प्रणाली स्थापति करें जो सभी नागरिकों के लिये न्याय सुनिश्चित करे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
 - जाति, धर्म या सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिये समान अवसर और उचित व्यवहार को बढ़ावा दें।
- **समावेशी शासन:**
 - एक समावेशी राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए जो आबादी की विविध आवाजों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हो।
 - ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करें जो हाशिए पर स्थिति समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें और सुनिश्चित करें कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे।
- **सेवक नेतृत्व (Servant Leadership):**
 - समुदाय की भलाई और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेताओं के लोगों के सेवक होने के विचार को बढ़ावा दें।

- राजनीतिक नेताओं के बीच वनिमृता, करुणा और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुणों को प्रोत्साहित करें।
- सामुदायिक सद्भाव:
 - सांप्रदायिक सद्भाव और एकता पर बल दें और विभाजनकारी तत्वों को हतोत्साहित करें जो संघर्ष का कारण बन सकते हैं।
 - विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ को प्रोत्साहित करें; सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दें।

नबिकरष:

जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, राम और राष्ट्र के बीच की दूरी को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर दूर किया जाएगा। यह अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुँच बनाने का आह्वान करेगा, जो मंदिर आंदोलन के अंग नहीं थे और वे सभी जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गूँज को लेकर आशंका रखते हैं। इसके लिये, धरुवीकरण के युग में, साझा आधार के कृतसंकल्पित खोज की आवश्यकता होगी।

अभ्यास प्रश्न: चर्चा कीजिये कि किस प्रकार 'रामराज्य' की प्राप्ति के क्रम में सामाजिक समस्याओं को हल करना तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. नागर, दरवडि और वेसर हैं: (2012)

- भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य नस्लीय समूह
- तीन मुख्य भाषायी प्रभाग जिनमें भारत की भाषाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है
- भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन मुख्य शैलियाँ
- भारत में प्रचलित तीन प्रमुख संगीत घराने

उत्तर: C

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने तथा उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वविचना कीजिये। (2020)